

बिहार विधान सभा सचिवालय

**अष्टादश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र
दिनांक 23 जुलाई, 2026**

की

कार्य-सूची

**वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव**

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. **प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **558,33,05,000/-** (पाँच सौ अठ्ठावन करोड़ तैंतीस लाख पाँच हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।
- 2.-6. **श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री सुबेदार दास, श्री मो० कमरूल होदा एवं श्री अखतरूल ईमान** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार के कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

7. **प्रभारी मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **74,27,95,000 /-** (चौहत्तर करोड़ सत्ताइस लाख पंचानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।
- 8.-10. **श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री सुबेदार दास** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

11. **प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **232,68,39,000/-** (दो सौ बत्तीस करोड़ अड़सठ लाख उनतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।
12. **श्री सुबेदार दास** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार के भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

13. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1,03,79,000/-** (एक करोड़ तीन लाख उनासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

14. श्री सुबेदार दास प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-06

आय-व्ययक शीर्षक-निर्वाचन विभाग

15. प्रभारी मंत्री, निर्वाचन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निर्वाचन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **12,27,00,000/-** (बारह करोड़ सत्ताईस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक-नगरानी विभाग

16. प्रभारी मंत्री, नगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **40,00,000/-** (चालीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

17. श्री सुबेदार दास प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार के नगरानी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-08

आय-व्ययक शीर्षक-कला एवं संस्कृति विभाग

18. प्रभारी मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कला एवं संस्कृति विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **4,02,55,000/-** (चार करोड़ दो लाख पचपन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 19.-20. श्री राहुल कुमार एवं श्री अमरेन्द्र कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
- राज्य सरकार की कला एवं संस्कृति नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-09

आय-व्ययक शीर्षक-सहकारिता विभाग

21. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **2,97,20,000/-** (दो करोड़ सत्तानवे लाख बीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 22.-24. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री सुबेदार दास प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
- राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

25. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ऊर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **11494,79,26,000/-** (ग्यारह हजार चार सौ चौरानवे करोड़ उनासी लाख छब्बीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 26-30. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री सुबेदार दास, श्री मो० कमरूल होदा एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
- राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-11

आय-व्ययक शीर्षक- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

31. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1186,76,44,000/-** (एक हजार एक सौ छियासी करोड़ छिहत्तर लाख चौवालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 32-33. श्री राहुल कुमार एवं श्री अमरेन्द्र कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

34. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **14063,71,00,000/-** (चौदह हजार तिरसठ करोड़ इकहत्तर लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 35-37. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री सुबेदार दास प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-15

आय-व्ययक शीर्षक-पेंशन

38. प्रभारी मंत्री, पेंशन प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पेंशन" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **77,43,97,000/-** (सतहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख सतानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

39. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3771,13,38,000/-** (तीन हजार सात सौ इकहत्तर करोड़ तेरह लाख अड़तीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 40-42. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री सुबेदार दास, प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

43. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **489,32,90,000/-** (चार सौ नवासी करोड़ बत्तीस लाख नब्बे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 44.-46. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री सुबेदार दास, प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

47. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **69,09,48,000/-** (उनहत्तर करोड़ नौ लाख अड़तालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 48.-50. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री सुबेदार दास, प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

51. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **5578,98,00,000/-** (पाँच हजार पाँच सौ अठहत्तर करोड़ अठानवे लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 52.-55. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री अजय कुमार एवं श्री अभिषेक रंजन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

56. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **6901,16,62,000/-** (छः हजार नौ सौ एक करोड़ सोलह लाख बासठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 57.-60. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री अजय कुमार एवं श्री मो० कमरूल होदा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

61. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **187,40,52,000/-** (एक सौ सत्तासी करोड़ चालीस लाख बावन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 62-64. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री अजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

65. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **213,13,00,000/-** (दो सौ तेरह करोड़ तेरह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 66-68. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री अजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-24

आय-व्ययक शीर्षक-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

69. प्रभारी मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना एवं जनसंपर्क विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **57,62,46,000/-** (सत्तावन करोड़ बासठ लाख छियालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 70-71. श्री राहुल कुमार एवं श्री अमरेन्द्र कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-25

आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रावैधिकी विभाग

72. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **119,00,00,000/-** (एक सौ उन्नीस करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 73-74. श्री राहुल कुमार एवं श्री अमरेन्द्र कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की सूचना प्रावधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक- श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

75. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **93,00,000/-** (तिरानवे लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।
- 76-79. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री सतानन्द सम्बुद्ध एवं श्री अजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-30

आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

80. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **109,93,51,000/-** (एक सौ नौ करोड़ तिरानवे लाख इक्कावन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।
- 81-84. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री सुबेदार दास एवं श्री अखतरुल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-31

आय-व्ययक शीर्षक-संसदीय कार्य विभाग

85. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "संसदीय कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **52,24,000/-** (बावन लाख चौबीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

86. श्री सुबेदार दास प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की संसदीय कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-32
आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल

87. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधान मंडल" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **30,00,000/-** (तीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

88. श्री सुबेदार दास प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की विधान मंडल नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-33
आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

89. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **5,80,61,000/-** (पाँच करोड़ अस्सी लाख इकसठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

90. श्री सुबेदार दास प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की सामान्य प्रशासन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-35
आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

91. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **158,20,00,000/-** (एक सौ अठ्ठावन करोड़ बीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 92-94. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री अजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

मांग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

95. **प्रभारी मंत्री**, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **520,50,00,000/-** (पाँच सौ बीस करोड़ पचास लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 96.-98. **श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री अजय कुमार** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-37

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

99. **प्रभारी मंत्री**, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **2180,03,00,000/-** (दो हजार एक सौ अस्सी करोड़ तीन लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 100-103. **श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार श्री अजय कुमार एवं श्री अभिषेक रंजन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

104. **प्रभारी मंत्री**, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **54,29,50,000/-** (चौवन करोड़ उनतीस लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 105-107. **श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री सुबेदार दास** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

108. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **35,45,23,000/-** (पैंतीस करोड़ पैंतालीस लाख तेईस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

109. श्री सुबेदार दास प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

110. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **483,10,15,000/-** (चार सौ तेरासी करोड़ दस लाख पंद्रह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 111-114. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री अजय कुमार एवं श्री मो० कमरूल होदा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

115. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3665,00,00,000/-** (तीन हजार छः सौ पैसठ करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 116-119. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री अजय कुमार एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

120. **प्रभारी मंत्री**, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **13682,63,96,000/-** (तेरह हजार छः सौ ब्यासी करोड़ तिरेसठ लाख छियानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 121.-125. **श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री मो० कमरूल होदा एवं श्री अखतरूल ईमान** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

126. **प्रभारी मंत्री**, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **49,98,00,000/-** (उनचास करोड़ अठ्ठानवे लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 127.-129. **श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

130. **प्रभारी मंत्री**, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **864,60,23,000/-** (आठ सौ चौंसठ करोड़ साठ लाख तेईस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 131.-133. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री सतानन्द सम्बुद्ध प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

134. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त 92,05,82,000/- (नानवे करोड़ पाँच लाख बयासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 135.-137. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री सतानन्द सम्बुद्ध प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की गन्ना उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

138. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त 28,11,00,000/- (अट्ठाईस करोड़ ग्यारह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 139.-141. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री सतानन्द सम्बुद्ध प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-47

आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

142. प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त 14,76,85,000/- (चौदह करोड़ छिहत्तर लाख पचासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 143.-144. श्री राहुल कुमार एवं श्री अमरेन्द्र कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

145. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3153,03,00,000/-** (तीन हजार एक सौ तिरपन करोड़ तीन लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।
- 146.-148. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री अजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-49

आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

149. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **103,87,00,000/-** (एक सौ तीन करोड़ सत्तासी लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।
- 150.-152. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री अजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-50

आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

153. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **87,67,88,000/-** (सत्तासी करोड़ सड़सठ लाख अट्ठासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 154.-156. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री अजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

157. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **16485,88,24,000/-** (सोलह हजार चार सौ पच्चासी करोड़ अठ्ठासी लाख चौबीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 158.-162. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री मो० कमरूल होदा एवं श्री अखतरुल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-52

आय-व्ययक शीर्षक-खेल विभाग

163. प्रभारी मंत्री, खेल विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खेल विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **18,78,04,000/-** (अठारह करोड़ अठहत्तर लाख चार हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 164.-166. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री अजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की खेल नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-53

आय-व्ययक शीर्षक-युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

167. प्रभारी मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **229,43,59,000/-** (दो सौ उनतीस करोड़ तैंतालीस लाख उनसठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 168.-170. श्री राहुल कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की युवा, रोजगार एवं कौशल विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-54

आय-व्ययक शीर्षक-उच्च शिक्षा विभाग

171. प्रभारी मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उच्च शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **156,19,00,000/-** (एक सौ छप्पन करोड़ ठन्नीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 172.-173. श्री राहुल कुमार एवं श्री अमरेन्द्र कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की उच्च शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-55

आय-व्ययक शीर्षक-सिविल विमानन विभाग

174. प्रभारी मंत्री, सिविल विमानन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सिविल विमानन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के उपबन्ध के अतिरिक्त **100,00,00,000/-** (एक सौ करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

पूनम सिन्हा

प्रभारी सचिव

बिहार विधान सभा, पटना ।

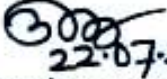
कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-06/2026-

2473

/वि०स०, पटना, दिनांक-22 जुलाई, 2026 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


22-07-2026

(उमा शंकर यादव)

उप सचिव,

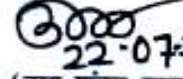
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-06/2026-

2473

/वि०स०, पटना, दिनांक-22 जुलाई, 2026 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित ।


22-07-2026

(उमा शंकर यादव)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-06/2026-

2473

/वि०स०, पटना, दिनांक-22 जुलाई, 2026 ई० ।

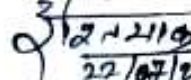
प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


22-07-2026

(उमा शंकर यादव)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।


22/07/2026